रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244935
CG-DL-E-05042023-244935

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

(राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल 2023

सा.का.नि. 269(अ).—सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 (2021 का 42) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (राष्ट्रीय बोर्ड) इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ– (1) इन विनियमों को सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. धारा 24 के खंड (क) के अधीन अंडाणुओं को प्राप्त करने का तरीका - (1) क्लीनिक दाता से सहमति प्राप्त करने के बाद अंडाणु दाताओं से अंडाणुओं को प्राप्त करेंगे।

(2) दाता से अंडाणुओं को प्राप्त करने के लिए, क्लीनिक प्रयास करेंगे कि एक चक्र के दौरान सात अंडाणुओं से अधिक प्राप्त न हों:

बशर्ते कि क्लीनिक सभी गठित रोमों को प्राप्त करेंगे।

(3) क्लिनिक डिम्बग्रंथि हाइपरस्टिम्यूलेशन को रोकने के लिए महिला की नियंत्रित डिम्बग्रंथि उत्तेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. धारा 24 के खंड (ख) के अधीन किसी महिला के गर्भाशय में भ्रूण रखने का तरीका- (1) स्त्री रोग विशेषज्ञ, रोगी की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर उपचार चक्र के दौरान किसी महिला के गर्भाशय में 1-2 भ्रूण स्थानांतरित करेगा बशर्ते कि केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे उन्नत मातृ आयु, आवर्ती गर्भपात और आवर्तक आरोपण विफलता और ऐसी अन्य परिस्थितियों में तीन भ्रूण स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

(2) उप-विनियमन (1) के प्रयोजनों के लिए, स्त्री रोग विशेषज्ञ तीन से अधिक भ्रूणों को स्थानांतरित नहीं करेगा।

[फा. संख्या.यू.11019/29/2022-एचआर(भाग-I)]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

(NATIONAL ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2023

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board (National Board) hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Assisted Reproductive Technology Regulations, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. The manner of retrieving the oocytes under clause (a) of section 24.- (1) The clinics shall retrieve oocytes from the donor after obtaining consent from the donor.

(2) For retrieving oocytes from the donor, clinics shall make efforts to retrieve not more than seven oocytes during one cycle:

Provided that the clinics shall retrieve all formed follicles.

(3) The clinics shall ensure the controlled ovarian stimulation of woman in order to prevent ovarian hyperstimulation.

3. The manner of placing the embryos in the uterus of a woman under clause (b) of section 24.- (1) The gynaecologist shall transfer 1-2 embryos in the uterus of a woman during a treatment cycle depending upon the medical condition of the patient provided that only in exceptional circumstances such as advanced maternal age, recurrent miscarriages and recurrent implantation failure and such other circumstances three embryos may be transferred.

(2) For the purposes of sub-regulation (1), the gynaecologist shall not transfer more than three embryos.

[F. No. U.11019/29/2022-HR(Part-I)]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.